

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चमोली।

संख्या: 1354/जिला0आब0अधि0/वि0म0दु0-व्यवस्थापन/2025-26/चमोली/दिनांक:मार्च, 05, 2025

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद चमोली में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दुकानों का राजस्व चार्ट आबकारी विभाग की साईट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड के उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 176/XXXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 के नियम 1.1 (1) के अनुपालन में जनपद चमोली के अन्तर्गत 15 विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु राजस्व लक्ष्य आवंटित किया गया है, के अनुज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के नवीनीकरण के लिए दुकानवार निर्धारित किये गए राजस्व का जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उत्तराखण्ड आबकारी विषयक नियमावली के नियम 1.1 (1) दिए गए प्रावधानों के अनुसार जनपद चमोली में जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित राजस्व चार्ट को उत्तराखण्ड आबकारी विभाग की साईट www.uttrakhandexcise.org.in पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें।

आबकारी आयुक्त,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद चमोली में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दुकानों का राजस्व

साईट पर अपलोड कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड के उत्तराखण्ड शासन की

अधिसूचना संख्या: 176/XXXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 के नियम 1.1 (1) के अनुपालन में जनपद चमोली के अन्तर्गत 15 विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु राजस्व लक्ष्य आवंटित किया गया है, के अनुज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के नवीनीकरण के लिए दुकानवार निर्धारित किये गए राजस्व का जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उत्तराखण्ड आबकारी विषयक नियमावली के नियम 1.1 (1) दिए गए प्रावधानों के अनुसार जनपद चमोली में जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित राजस्व चार्ट को

(दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी)
जिला आबकारी अधिकारी,
चमोली।



वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये जनपद चमोली की विदेशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु दुकानवार राजस्व चार्ट

क्र०सं	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दुकानवार निर्धारित/व्यवस्थापित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2024-25 के व्यवस्थापित राजस्व पर 04 प्रतिशत की वृद्धि करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दुकानवार निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकरण शुल्क (कुल निर्धारित राजस्व का 0.35 प्रतिशत या 50000 जो अधिक हो)	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लाईसेंस फीस (कुल निर्धारित राजस्व का 1 प्रतिशत निकटम 1000 के पूर्णांक में)	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक अधिमार (कुल राजस्व-लाईसेंस फीस)	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रतिमूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु एक माह की न्यूनतम मासिक प्रत्यामूत ड्यूटी की धनराशि (कुल वार्षिक अधिमार का 1/12)	वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत हैसियत की धनराशि (कुल वार्षिक राजस्व का 15 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गोपेश्वर	99832006	103825286	363389	1038000	102787286	8565608	8565608	15573793
2	गौचर	80176972	83384051	291844	834000	82550051	6879171	6879171	12507608
3	देवाल	51998547	54078489	189275	541000	53537489	4461458	4461458	8111773
4	चमोली	66165462	68812080	240842	688000	68124080	5677007	5677007	10321812
5	नन्दप्रयाग	46912610	48789114	170762	488000	48301114	4025093	4025093	7318367
6	थराली	56397685	58653592	205288	587000	58066592	4838883	4838883	8798039
7	ग्वालदम	30669638	31896424	111637	319000	31577424	2631452	2631452	4784464
8	घाट	47271407	49162263	172068	492000	48670263	4055856	4055856	7374339
9	जोशीमठ	107390592	111686216	390902	1117000	110569216	9214102	9214102	16752932
10	कर्णप्रयाग	125144291	130150063	455525	1302000	128848063	10737339	10737339	19522509
11	नारायणबगड	52179879	54267074	189935	543000	53724074	4477007	4477007	8140061
12	पोखरी	59840643	62234269	217820	622000	61612269	5134356	5134356	9335140
13	माईथान	14144459	14710237	51486	147000	14563237	1213604	1213604	2206536
14	गैरसैण	61887164	64362651	225269	644000	63718651	5309888	5309888	9654398
15	मैहलचौरी	19988647	20788193	72759	208000	20580193	1715017	1715017	3118229
	योग	920000002	956800002	3348800	9570000	947230002	78935841	78935841	143520000

आबकारी निरीक्षक,
क्षेत्र-01, चमोली।

आबकारी निरीक्षक,
क्षेत्र-01, चमोली।

आबकारी निरीक्षक,
क्षेत्र-02, कर्णप्रयाग।

आबकारी निरीक्षक,
क्षेत्र-03, जोशीमठ।

जिला आबकारी अधिकारी,
चमोली।

SAO

जिलाधिकारी,
चमोली।